



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग  
18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद-211 001

विज्ञापन संख्या-46

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा विज्ञापन संख्या-46 के सन्दर्भ में दिनांक-04.03.2014 को जारी प्रेस-विज्ञापित तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका सं0-4236/2014 में पारित निर्देशों के क्रम में निर्गत उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-उ0शि0आ0-28/सत्तर-3-2014 दिनांक-18 मार्च, 2014 के आलोक में रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जारी किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिणियमों में निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारक अभ्यर्थियों से अनुमन्य वेतनमान तथा भत्तों सहित (रू015600-39100 ग्रेड वेतन-6000) निम्न विवरणानुसार प्रदेश के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त विभिन्न विषयों के प्रवक्ता पदों हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विषय के सम्मुख क्रमशः सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों एवं क्षैतिज आरक्षण (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों) की संख्या दर्शायी गई है, जो अध्यायना के अनुसार घट-बढ़ सकती है।

रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	विषय का नाम	कुल पदों की सं.	जाति वर्ग				विकलांग हेतु आरक्षित वर्ग 3 प्रतिशत			स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 02%
			सामान्य	अ.पि.व.	अनु. जा.	अनु.ज. जा.	दृष्टि बाधित या कम दृष्टि	श्रवण हास	चलन किया संबन्धी निश्चकता	
01.	अर्थशास्त्र	80	40	22	17	01	01	01	02	
02.	अंग्रेजी	61	31	17	12	01	01	—	01	
03.	इतिहास	34	17	08	08	01	—	—	01	
04.	उर्दू	05	02	02	01	—	—	—	—	
05.	गृह विज्ञान	05	03	01	01	—	—	—	—	
06.	चित्रकला	18	09	04	04	01	01	—	01	
07.	दर्शन शास्त्र	11	05	04	02	—	—	—	—	
08.	प्राचीन इतिहास	23	12	07	04	—	—	01	—	
09.	भूगोल	102	51	27	22	02	01	02	02	
10.	मनोविज्ञान	41	20	11	09	01	—	—	01	
11.	मानवशास्त्र	02	01	01	—	—	—	—	—	
12.	राजनीतिशास्त्र	82	41	21	18	02	—	—	02	
13.	समाजकार्य	01	01	—	—	—	—	—	—	
14.	समाजशास्त्र	74	37	21	15	01	01	01	01	
15.	सैन्य विज्ञान	39	19	11	08	01	—	—	01	
16.	संगीत (गायन)	06	03	01	02	—	01	—	—	
17.	संगीत (तबला)	06	03	02	01	—	—	—	—	
18.	संगीत (सितार)	04	02	01	01	—	—	—	01	
19.	संस्कृत	76	38	20	16	02	—	01	01	
20.	शारीरिक शिक्षा	25	13	07	05	—	01	—	01	
21.	शिक्षा शास्त्र	41	20	12	08	01	—	01	—	
22.	हिन्दी	128	64	35	27	02	01	01	02	
23.	उद्यानिकी	08	04	03	01	—	—	—	—	

24.	कीट विज्ञान	07	04	02	01	—	01	—	—	—
25.	ग्रामीण उद्योग	01	—	—	01	—	—	—	—	—
26.	कृषि अर्थशास्त्र	14	07	04	03	—	—	—	—	01
27.	कृषि अभियंत्रण	08	04	01	02	01	—	—	—	—
28.	कृषि प्रसार	03	02	01	—	—	—	—	—	—
29.	कृषि रसायन	10	05	03	02	—	—	01	—	—
30.	कृषि वनस्पति	03	01	01	01	—	—	—	—	—
31.	पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान	05	03	01	01	—	—	—	—	—
32.	पादप रोग/प्लान्ट प्रोटेक्शन	04	02	02	—	—	—	—	—	—
33.	प्लान्ट पैथालोजी	01	—	—	01	—	—	—	—	—
34.	मृदा एवं भूमि संरक्षण	04	02	01	01	—	—	—	—	—
35.	कृषि शस्य विज्ञान	12	06	04	02	—	—	—	—	01
36.	कृषि सांख्यिकी	02	01	—	—	01	—	—	01	—
37.	वाणिज्य	60	30	16	13	01	01	—	—	02
38.	विधि	41	21	11	08	01	—	01	01	01
39.	गणित	59	29	16	13	01	01	—	—	01
40.	प्राणि विज्ञान	106	53	28	23	02	01	02	01	02
41.	भौतिक विज्ञान	72	37	20	15	—	01	—	01	01
42.	रसायन विज्ञान	138	69	38	29	02	01	02	01	02
43.	वनस्पति विज्ञान	101	50	27	22	02	01	01	01	02
44.	सांख्यिकी	10	05	03	02	—	—	—	01	—
45.	भूगर्भ विज्ञान	01	—	—	01	—	—	—	—	—
46.	बी०ए०ड०	118	59	32	25	02	01	01	01	02
	योग	1652	826	449	348	29	16	17	16	33

टिप्पणी: उक्त विज्ञापन याचिका संख्या-48149/2003 एवं याचिका संख्या-53581/2005 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2009 के विरुद्ध शासन द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सी.सी. संख्या- 11117/2009 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

1. असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु आवेदन केवल आयोग की वेबसाइट-[www.uphesc.org](http://www.uphesc.org) पर आन लाइन ही स्वीकार किये जायेगे।
2. सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में ₹02000.00 तथा उ.प्र. के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ₹01000.00 निर्धारित है जिसे अभ्यर्थी को आन लाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बैंक चालान के माध्यम से उक्त धनराशि पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी शाखा में जमा करनी होगी। बैंक कमीशन ₹0 20.00 अलग से देय होगा। शुल्क जमा करने के पश्चात् आयोग की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें तथा अपनी प्रति अपने पास सुरक्षित रखें जिसे साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. आन लाइन जमा किये गये आवेदन-पत्र की प्रिन्ट की दो प्रतियाँ साक्षात्कार के समय सभी वांछित स्व-प्रमाणित पत्रजातों के साथ आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। अभ्यर्थी एक प्रति रिकार्ड के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
4. आरक्षण का लाभ केवल उ०प्र० के मूल निवासियों को ही शासनादेशों के अधीन अनुमन्य होगा। विज्ञापन के किसी पद विशेष का बिना चयन करने/न करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

5. ऐसे पी-एचडी/डीफिलो उपाधि धारक अभ्यर्थी जो उक्त उपाधि हेतु दिनांक-11.07.2009 से पूर्व पंजीकृत हैं/उपाधि प्राप्त किये हैं, जे0आर0एफ0/नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण होने वाली बाध्यता से छूट प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोफार्मा पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा कि वे यू0जी0सी0 विनियमावली-2009 में निर्धारित शर्तों के अधीन (मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-45477/2011 में पारित आदेश दिनांक-06.04.2012 के क्रम में) न्यूनतम 06 शर्तों के साथ डी0फिलो/पी-एचडी0 की उपाधि प्राप्त किये हैं और दिनांक-11.07.2009 अथवा इस तिथि के उपरान्त पंजीकृत व उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी सभी 11 शर्तों (criteria) को पूरी करते हैं।
6. विज्ञापन में दी गयी शर्तों में यदि कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो अभ्यर्थी आयोग कार्यालय से सम्पर्क कर स्थिति स्पष्ट कर लें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. विज्ञापन से संबंधित अन्य समस्त विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

सचिव  
उ0शि0आयोग

  
19.03.14